E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03 / भू0अ0नि0 (5) अपील–27 / 2023..........................

आदेश

"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–2280 दिनांक–20.03.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री तरूण कुमार साफी, (Emp. ID No.- AEN04007), संविदा समाप्त, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर द्वारा प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री तरूण कुमार साफी के अपील की सुनवाई हेतु दिनांक– 06.10.2023 को 04:00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई, जिसकी सूचना उन्हें ई–मेल के द्वारा प्रेषित की गयी है। निर्धारित तिथि एवं समय पर वाद की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

अपील में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की ओर से मंतव्य दाखिल किया गया। उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में निदेशालय का मंतव्य, अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर ने अपने पत्रांक–52 दिनांक–25.01.2023 द्वारा श्री साफी के विरूद्ध सर्वे कार्य में शिथिलता, अपने दायित्त्वों को सही ढंग से निवर्हन नहीं करने, शिविर से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा स्वेच्छारिता एवं अनुशासनहीनता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में अपीलार्थी से निदेशालय पत्रांक–1535 दिनांक–15.02.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री साफी द्वारा दिनांक–19.02.2023 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि अन्य मौजा के कार्य में सहयोग करने तथा सर्वेक्षण कार्य में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में सही समय पर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के कारण सर्वे कार्य में विलंब हुआ। अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में स्वास्थ्य खराब रहना प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में श्री साफी द्वारा चिकित्सक का चिकित्सीय पूर्जा आदि दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने उपर लगे अरोपों से बचने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप इनकी सेवा समाप्त की गयी।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन मे उठाये गये बिन्दु एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है की इनके वरीय प्रभारी यथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा कार्यों के संबंध में उचित मार्गदर्शन नहीं देने के कारण कार्य में विलंब हुआ है। इनके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में चिकित्सक से चिकित्सा कराने का साक्ष्य दिया गया है।

अपीलार्थी पर लगाये आरोप के दृष्टिगत रक्षित साक्ष्यों के आधार पर विवेचनोपरांत पाता हूँ कि आरोप के अनुपात में संविदा नियोजन रद्द करने जैसा दंड दिया जाना अप्रत्यानुपातिक है।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश सं0–2280 दिनांक–20.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–27/2023......8801......**पटना, दिनांक :–** 06/11/2023

प्रतिलिपिः– श्री तरूण कुमार साफी, (Emp. ID No.- AEN04007), संविदा समाप्त, पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर, ई–मेल–tarunkumar7528@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

6/11/2023

(विनोद कुमार पंकज)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–27/2023......8801......**पटना, दिनांक :–** 06/11/2023

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

6/11/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–27/2023......8801......**पटना, दिनांक :–** 06/11/2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/11/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–27/2023......8801......**पटना, दिनांक :–** 06/11/2023

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6/11/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–27/2023......8801......**पटना, दिनांक :–** 06/11/2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/11/2023

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप